|  |
| --- |
| भारत सरकार |
| आर्थिक कार्य विभाग |
| वित्‍त मंत्रालय |
| **राज्‍य सभा** |
| **अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 662** |
| (जिसका उत्‍तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाने वाला है) |
|  |
| **भारतीय मुद्रा की संरचना और पैटर्न** |

|  |  |
| --- | --- |
| **662.** | **श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार:** |
|  | **श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला:** |

|  |  |
| --- | --- |
| क्‍या **वित्‍त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: | |
|  |  |
|  | क्या भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा की संरचना और पैटर्न में परिवर्तन करने जा रहा है; |
|  | क्या भारतीय रिजर्व बैंक हमारे अन्य देशभक्‍त नेताओं के चित्र लगाने जा रहा है एवं तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; |
|  | क्या भारतीय रिजर्व बैंक का इरादा मुद्रा में सरदार वल्लभभाई पटेल का चित्र लगाने का है; |
|  | यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और |
|  | यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? |

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना)**

(क) से (ङ): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार बैंक नोटों का डिजाइन, प्रारूप और सामग्री केंद्रीय बोर्ड (आरबीआई के) द्वारा की गयी सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार के उपरान्‍त यथा अनुमोदन के अनुसार होगी। भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय बैंक नोटों पर विभिन्‍न विभूतियों के छायाचित्र शामिल करने के लिए विभिन्‍न माध्‍यमों द्वारा सतत तथा विभिन्‍न अंतरालों पर अनुरोध प्राप्‍त होते रहे हैं।

सुरक्षा विशेषताओं सहित करेंसी नोटों के डिजाइन की समीक्षा एक गतिशील तथा सतत प्रक्रिया है जिसका विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार पालन किया जाता है।

**\*\*\*\*\*\*\***